

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक:स-42/जे०डी०/फा०स०/लखनऊ-15(सहा०)/41

दिनांक: जनवरी 24 2018.

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,

मैसर्स हिमालय इंटरनेशनल स्कूल,

खसरा नं०-354/1, 359/1, ग्राम सुल्तानपुर बाहर हदूद तहसील सहारनपुर,

जनपद-सहारनपुर

विषय: मैसर्स हिमालय इंटरनेशनल स्कूल द्वारा खसरा नं०-354/1, 359/1, ग्राम सुल्तानपुर बाहर हदूद तहसील व जनपद सहारनपुर उ०प्र० में विद्यमान एजुकेशनल भवन के नाम को परिवर्तन किये जाने एवं भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: यूआईडी:2018/39920/एसआरआर/सहारनपुर/765/जे०डी०

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत विद्यमान एजुकेशनल भवन हिमालय इंटरनेशनल स्कूल (पूर्व नाम डा० राधा कृष्णन एजुकेशनल सोसायटी) के नाम को परिवर्तन किये जाने एवं भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर कार्यालय से किया गया है।

उक्त के अनुपालन में प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण प्रमारी फायर स्टेशन सहारनपुर श्री सुरेश पाल सिंह द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 20-01-2018 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री तेजवीर सिंह को उपलब्ध करायी गयी उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से पत्रावली संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत है:-

प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:- प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 15-06-2017 के द्वारा कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

भवन की संरचना:-

- 1-कूल प्लाट एरिया-9250.00 वर्ग मी०।
- 2-निर्मित मूलतल कवर्ड एरिया-770.87 वर्ग मी०।
- 3-निर्मित प्रथम तल कवर्ड एरिया-770.87 वर्ग मी०।
- 4-भवन की ऊँचाई:-08.10 मीटर।

भवन का अधिभोग:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एनबीसी-2005 की शैक्षणिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाएँ:-

- 1-पहुँच मार्ग- प्रश्नगत भवन के सामने 12.00 मी० चौड़ा रोड उपलब्ध है, जिस पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते हैं।
- 2-प्रवेश द्वार-भवन में प्रवेश द्वार जिसकी चौड़ाई 05.60 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।
- 3-सैटबेक- प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-06.00 मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-06.00 मी०।

सी०-पार्श्व भाग-प्रथम-06.00 मी०।


डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-06.00 मी०।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन एन०बी०सी० एवं निर्माण विनियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है, सैटबेक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायें।

4-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन में 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी कमरा: चौड़ाई 01.60 मी० प्रत्येक निर्मित है, तथा भवन के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-प्रश्नगत निर्मित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निर्मांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ एन०बी०सी० मानक के अनुसार स्थापित पायी गयी:-

- 1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।
- 2-पी०ए० सिस्टम:- भवन में पी०ए० सिस्टम स्थापित है।


Manager

Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)


Principal

Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

(अरवि कुमार)

संयुक्त निदेशक फायर सर्विस
उ०प्र० लखनऊ

3-एग्जिट साईनेज:- भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी/मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रशंगत भवन मैसर्स हिमालय इंटरनेशनल स्कूल द्वारा खसरा नं०-354/1, 359/1, ग्राम सुल्तानपुर बाहर हदूद तहसील व जनपद सहारनपुर उ०प्र० में विद्यमान एजुकेशनल भवन के नाम को परिवर्तन किये जाने एवं भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्रनिम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

1-भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जायें।


2-भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु एन०बी०सी० अनुसार प्रशिक्षित रखा जाये।

3-भवन में किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व नोएडा/ग्रेटर नोएडा भवन विनियमावली के अनुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4- भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाये तथा एन०बी०सी०-2005 के एनेक्स-ई-3 के अनुसार इमरजेंसी इवेक्यूशन प्लान तैयार कर इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

5- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

उपरोक्त के विपरीत किसी भी कार्य के लिये भवन स्वामी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस,
उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

3-प्रभारी फायर स्टेशन सहारनपुर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

4-नियत प्राधिकारी/प्रभारी अधिकारी सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



Manager

Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)



Dipal

Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)